>

Title: Need to take action against persons found guilty in the procurement of wheat by F.C.I. in the year 2009-2010 in Satna, Madhya Pradesh.

**श्री गणेश सिंह (सतना):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भारत सरकार के एफ.सी.आई. विभाग का ध्यान वर्ष 2009-10 में गेहूं की जो खरीदी हुई थी, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना में कृषि उपजमण्डी परिसर में जो गेहूं की खरीदी की गई थी, उसमें साढ़े पांच सौ मीट्रिक टन गेहूं कम मिला था, जब कि भुगतान पूरी खरीदी का हो चुका था। उक्त खरीदी की जब शिकायत हुई, उसके बाद जांच दल ने स्टॉक में गेहूं की कमी को स्वीकार किया। फर्जी किसानों के नाम पर जो चेक बनाए गए थे, उनमें से अधिकांश चेक आज भी किसानों को नहीं मिले। खरीदे गए गेहूं को माल गोदाम तक पहुंचाने के लिए जो ट्रंसपोर्टर तय किया गया था, उसके ऊपर जांच दल ने गेहूं कम होने का आरोप मढ़ दिया।

अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि अधिकारियों ने जो गोलमाल किया था, उसकी जांच करने के बाद क्या जानकारी आई है और जो दोषी पाए गए हैं, मैं उन पर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।